



क्रमांक 313 / बै.प्र. / एपीडीएमबी / 2025

बिलासपुर, दिनांक : 01-01-25

कार्यालयीय ज्ञाप

इस कार्यालय की अधिसूचना क्रमांक 638 / बै.प्र. / APDMB / 2023 बिलासपुर दिनांक 28.06.2023 की निरंतरता में, केन्द्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 के परिनियम 48(2) (संशोधित) के प्रावधानानुसार विश्वविद्यालय की अकादमिक, योजना, विकास और निगरानी बोर्ड में निम्नानुसार सदस्य का नामांकन किया जाता है :-

1. **48(2)(10) विद्यापरिषद् द्वारा नामनिर्दिष्ट छह शिक्षक, जिसमें प्रत्येक स्तर से कम से कम एक शिक्षक हों**

1. डॉ० गौरी त्रिपाठी, सह-आचार्य, हिन्दी विभाग

के स्थान पर

डॉ० नवजोत कौर कंवल, सह-आचार्य, न्यायालयिक विज्ञान विभाग

इस श्रेणी के अंतर्गत उपरोक्त सदस्य का कार्यकाल पदेन पद अथवा अकादमिक, योजना, विकास और निगरानी बोर्ड के कार्यकाल जो भी पहले हो के साथ समाप्त होगा।

आदेशानुसार,

कुलसचिव (कार्यवाहक)

पृ० क्रमांक 314 / बै.प्र. / एपीडीएमबी / 2025

बिलासपुर, दिनांक : 01-01-2025

प्रतिलिपि :-

01. कुलपति/कुलसचिव के सचिव/निज सहायक की ओर कुलपति महोदय/कुलसचिव जी के अवलोकनार्थ प्रेषित।
02. अकादमिक, योजना, विकास और निगरानी बोर्ड के समस्त सम्माननीय सदस्यों की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
03. संबंधितों को सूचनार्थ प्रेषित।
04. प्रभारी, विश्वविद्यालय वेब पटल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
05. कार्यालय प्रति।

कुलसचिव (कार्यवाहक)